<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 15/2025/ I/952673/2025</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 02.05.2025**

विषयः- कार्मिकों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच/अभियोजन/सतर्कता जांच का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है तथा इसकी उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

2- अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति, विदेश यात्रा आदि प्रकरणों में विभागीय जांच/सतर्कता जांच/अभियोजन प्रचलित होनें अथवा न होने की सूचना की आवश्यकता होती है, तत्सम्बन्धी विवरण अभी मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से कार्मिकों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच/अभियोजन/सतर्कता जांच के प्रकरणों की स्थिति को पोर्टल पर दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा एनआईसी द्वारा इस सम्बन्ध में पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है कृपया अपने विभाग/विभागान्तर्गत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच/अभियोजन/सतर्कता जांच की कार्यवाही का विवरण विभागीय एडमिन के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज कराने का कष्ट करें। अतएव विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेशलोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।